(ग) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सरकार को यह रिपोर्ट किस स्रोत से प्राप्त हुई थी ;

(ङ) क्या सरकार द्वारा भेजे गए दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (च) यह प्रश्न उल्लिखित समाचार के प्रकाशन से संबंधित तारीख के बारे में सूचित नहीं करता है । किसी भी स्थिति में विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल में प्राप्त विदेशी सहायता के इस्तेमाल के किसी सामान्य पहलू पर विचार करने के लिये किसी केन्द्रीय दल का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विश्व बैंक से सहायता स्पष्ट रूप से निर्धारित परियोजना या कार्यक्रम लक्ष्यों से सम्बद्ध बचत बद्धताओं के रूप में प्रदान की जाती है, और संबंधित अभिकरणों की संतुष्टि से क्षेत्र में सहमत व्यय किये जाने के बाद इसे केवल प्रतिपूर्तियों के रूप में आहरित किया जा सकता है । इस प्रकार, विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत परियोजना व्यय से पहले दी गयी निधियों का दुरुपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहायता में कमी

878. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आर्थिक सुधारों के लिए आर्थिक नीति में निरन्तर परिवर्तन करने के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर, 1992 तक के पहले नौ महीनों में विदेशी आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक कुल कितनी विदेशी पूंजी आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हुई थी ;

(ग) अप्रैल, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक कितनी विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई ;

(घ) इस सहायता राशि में ऋण तथा अनुदान के रूप में अलग-अलग कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस सहायता-राशि में कमी के कारणों का पता लगाया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान विदेशी सहायता का सकल संवितरण 7582 करोड़ रुपये था ।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान विदेशी सहायता का सकल संवितरण 6.077 करोड़ रूपये था ।

(घ) अप्रैल, - दिसम्बर, 1991 और अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि क्रमश: 463 करोड़ रुपये और 593 करोड़ रुपये थी ।

(ङ) और (च) विदेशी सहायता की अधिकांश राशि विशिष्ट परियोजनाओं से आबद्ध होती है और इसलिये संवितरण परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची के साथ जुड़े रहते हैं । वास्तविक कार्यान्वयन की गति परियोजना दर परियोजना

अलग-अलग होती है, तथापि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में प्रयोग न की गयी ऋण राशि सामान्यतः व्यपगत नहीं होती और वह उत्तर वर्षों में उपयोग के लिये आगे ले जाई जाती है।

बैंकों को बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

879. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा०जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 1991 से जुलाई, 1992 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के संबंध में दी गई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इन बैंकों द्वारा, 10,000 करोड़ रुपये की राशि बट्टे-खाते में डालने के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों द्वारा एक बड़ी राशि बट्टे खाते में डाली जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिये किसी जांच समिति की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्यों का आशय वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना से है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चुने हुये वर्गों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 10,000/- रु० प्रति उधारकर्ता, ऋण राहत प्रदान करने के लिये थी। सरकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिये भी केन्द्रीय योजना के आधार पर राज्य सरकारों ने उसी प्रकार की योजनायें तैयार की थीं। 1-2-1993 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2800/- करोड़ रु० की कुल ऋण राहत प्रदान की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना दिनांक 31-3-1991 को समाप्त हो गई है।

विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान

880. **श्री सोम पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर बकाया कुल विदेशी ऋण कितना है ;

(ख) ब्याज के रूप में प्रति-वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ब्याज का भुगतान करने के लिये और अधिक ऋण प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) नवीकरण उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों और अल्पावधि ऋण भी शामिल हैं, 726720 लाख अमेरिकी डालर होने है और 30 सितम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार सिविलियन रूबल ऋण 9780 लाख रूबल होने का अनुमान है।